संख्या– 05/सू0एवंज0सं0वि0(विज्ञा0)–1127/2016

प्रेषक,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक : 11 जनवरी, 2018

विषयः– ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1107/78–2–2017–42 आई0टी0/2017 दिनांक 13 मई 2017 के अनुपालन में शासकीय विभागों में वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था लागू कर दी गयी है, जिसके अनुसार अधिकांश विभागों द्वारा वर्गीकृत विज्ञापन (निर्माण कार्य, जॉब वर्कस/सेवाओं एव सामग्री के क्रय तथा चालू दर अनुबन्ध [रिट कान्टैक्ट]) हेतु ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के अनुरूप प्रकाशन हेतु प्रेषित करना प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पूर्व की भांति नियम एवं शर्तो सहित वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं। वर्गीकृत विज्ञापनों में नियम व शर्ते भी समाहित होने के कारण उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है और उसके प्रकाशन से अधिक शासकीय धन व्यय हो रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि टेण्डर की वेबसाइट http://etender.up.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट पर वर्गीकृत विज्ञापन से संबंधित नियम व शर्ते अपलोड रहती है। अतः केवल अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वर्गीकृत विज्ञापन (निविदा/नीलामी आदि) के नियम व शर्तों को समाचार पत्रों में विस्तार सहित प्रकाशित कराये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया वर्गीकृत विज्ञापन सामग्री में नियम/शर्तो को छोड़कर निविदा से संबंधित वेबसाइट का नाम और कार्य का विवरण (जिसमें कार्य/योजना का नाम, विभाग/जनपद का नाम, निविदा मूल्य, अनुमानित लागत, कार्य की अवधि, धरोहर धनराशि, निविदा आमंत्रण से संबंधित विवरण, Notice inviting tender इत्यादि का उल्लेख हो) प्रकाशन हेतु प्रेषित करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें। वर्गीकृत विज्ञापन से संबंधित नियम/शर्तो हेतु विज्ञापन सामग्री में मात्र यह उल्लेख कर दिया जाय कि नियम/शर्ते तथा तकनीकी बिड/वित्तीयविड आदि विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है, तथा निविदा प्रपत्र के साथ भी संलग्न रहेगी, ताकि शासन की मंशा के अनुसार मितव्ययिता बनी रहे।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
सूचना निदेशक।